

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

आज दिनांक- 11.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।




पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 11.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



थाना कबरई पुलिस टीम ने 50 लीटर अवैध देशी शराब के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 11.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई 30नि0 अनुज कुमार सिंह मय हमराह का0 अशोक सिंह, कां0 अर्जुन सिंह, कां0 शैलेन्द्र सिंह, म0कां0 अनामिका देवी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजकुमार पुत्र ऐलम सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा वर्मा तालाब मु0 विवेक नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को वर्मा तालाब कबूतरा डेरा कस्वा व थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 03 प्लास्टिक की अलग-अलग पिपिया मे क्रमशः 18-18-14 ली0 (कुल 50 लीटर) अवैध कच्ची शराब नाजायज व 200 कि0ग्रा0 लहन बरामद हुए। बरामदशुदा 200 कि0ग्रा0 लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 79/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजकुमार पुत्र ऐलम सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा वर्मा तालाब मु0 विवेक नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. 30नि0 अनुज कुमार सिंह
2. कां0 अशोक सिंह
3. कां0 अर्जुन सिंह
4. कां0 शैलेन्द्र सिंह
5. म0कां0 अनामिका देवी

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 03 प्लास्टिक की पिपिया मे क्रमशः 18-18-14 ली0 (कुल 50 लीटर) अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद हुए तथा मौके पर 200 कि0ग्रा0 लहन नष्ट किया गया।



थाना अजनर की पुलिस टीम ने आवेदक के खोये हुये मोबाइल को बरामद कर किया सुपुर्द, खिल उठा अवेदक का चेहरा।


पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में साईबर शिकायतों के निस्तारण अभियान के तहत C.E.I.R. PORTAL पर प्राप्त शिकायत के निस्तारण के क्रम में आवेदक श्री राहुल कुशवाहा पुत्र खुमान सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम महुआबाँध थाना अजनर जनपद महोबा का एक अदद खोया/गुमशुदा मोबाइल को थानाध्यक्ष अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व गठित थाना अजनर की सी0सी0टी0एन0एस0 टीम द्वारा मोबाइल बरामद कर आवेदक को सुपुर्द किया गया।

बरामदगी विवरण-

एक अदद मोबाइल REAL ME 12X कीमत 13499/- रुपये

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. उ0नि0 आकाश मौर्या
3. क0आ0 अमित कुमार (ग्रेड-ए)
4. कां0 रावेश कुमार
5. कां0 हर्षित रावत



थाना खरेला व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम ने 30 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 10.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गई थाना खरेला व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के ग्राम बल्लाय के पास से 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.कैलाश पत्नी हरस्वरूप लोधी उम्र 55 वर्ष 2.श्यामकरन पुत्र सुखनन्दन उम्र 35 वर्ष निवासीगण ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा जिनके कब्जे से 02 अलग-अलग प्लास्टिक की पीपिया में 15-15 लीटर कुल 30 लीटर अवैध देशी शराब महुआ नाजायज व 200 कि०ग्रा० लहन बरामद हुए। बरामदशुदा 200 कि०ग्रा० लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 18/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.कैलाश पत्नी हरस्वरूप लोधी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा
- 2.श्यामकरन पुत्र सुखनन्दन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम- थाना खरेला पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री सत्यपाल सिंह
2. उ०नि० अवनीश कुमार यादव 3.म०उ०नि० नैन्सी प्रजापति
4. का० महेश प्रसाद

आबकारी पुलिस टीम-

- 1.आबकारी निरीक्षक श्री अर्पित गुप्ता
- 2.आबकारी का० प्रमोद कुमार 3.आबकारी म०कां० सविता प्रजापति



जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा, वाहनों पर यातायात जागरुकता पम्पलेट चस्पा कर किया गया जागरुक..

आज दिनांक **11.03.2025** को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ढाबा आदि संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी।

पैदल गस्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन व चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गयी। इस दौरान यातायात जागरुकता पम्पलेट को वाहनों पर चस्पा कर यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया तथा यातायात नियमों का पालन किये/कराये जाने हेतु अपील की गयी

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन/अनुज्ञापियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **132 वाहनों के ई-चालान** कर **1,25,000/- रुपये** (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।



जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को रोके जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया, वाहनों में चस्पा किये गये जागरुकता पम्पलेट्स -

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रोकथाम के लिए जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा किये जा रहे प्रयासों के क्रम में आज दिनांक- 11.03.2025 को प्रभारी यातायात पुलिस महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा मुख्यालय महोबा क्षेत्रअन्तर्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए यातायात नियमों की अवहेलना कर सड़क में वाहन चला रहे वाहन चालकों को रोककर उनकी जीवन रक्षा व सड़क दुर्घटना रोके जाने के उद्देश्य से वाहन चालकों को रोककर उनको यातायात नियमों की जागरुकता पर जोर देते हुए उनके महत्व को बताया गया है और यातायात नियमों का पालन किये जाने हेतु शपथ दिलाई गई है साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरुकता हेतु ऐसे 25 वाहनों में जागरुकता पम्पलेट्स भी चस्पा किये गये हैं।

सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए बताया कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी यातायात सुरक्षा सम्बन्धी बातों का ध्यान रखें, हमेशा सड़क के दोनो ओर देख कर की सड़क को पार करें, दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चलाते समय शीट बेल्ट का प्रयोग करें, ध्यान रहे इस दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करें। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस टीम द्वारा चलाया जा रहा है विशेष चेकिंग एवं जागरूकता अभियान, की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता का प्रचार-प्रसार किये जाने तथा सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लाये जाने के उद्देश्य से प्रभारी यातायात महोबा, श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक- 10.03.2025 को जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाकर जनपद में संचालित ऑटो, कूजर इत्यादि की सघन चेकिंग की गई, इस अभियान में ओवर लोड पाए गए वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस दौरान कुल 27 वाहनों को चेक किया गया तथा 09 वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बिठाये जाने को लेकर ओवर लोडिंग का चालान किया गया है सभी चालकों को हिदायत दी गयी है कि यातायात नियमों का पालन करें, जान जोखिम में डालकर यात्रा न करें। साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में मुख्यालय महोबा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न चौराहों, तिराहों, बस स्टैंड पर आम जनमानस को यातायात नियमों के पालन का महत्व बताया जा रहा है ताकि जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।




अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने व विषम परिस्थितियों में अराजकतत्वों से निपटने के लिए पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया।

आगामी त्यौहारों के दौरान जनपद महोबा में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा आज दिनांक- 11.03.2025 को रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार की परेड की सलामी ली गयी। तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर स्टोर, पुलिस बैरक, मेस, शस्त्रागार, परिवहन शाखा आदि का निरीक्षण करते हुए सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

इसी क्रम में जनपद महोबा में प्रचलित एवं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग और सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। बलवा ड्रिल के अभ्यास के दौरान 10 पुलिस पार्टियों बनायी गयी, पुलिसकर्मियों में से ही बलवाई बने लोगों (भीड़) को तितर-बितर करने हेतु बलवा ड्रिल के अंतर्गत कार्यवाही कराई गयी तथा पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण रबर बुलेट गन, लाठी चार्ज, अश्रु गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, टीयर स्मोक सेल, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं बलवा ड्रिल का डिमॉस्ट्रेशन कराया गया। बलवा जैसी स्थिति का अनुकरण करते हुए पुलिस पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने बताया कि इस ड्रिल का उद्देश्य जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है और संवेदनशील मौकों पर इसका लगातार अभ्यास किया जाता है। इसमें पुलिस को दंगों व दंगाइयों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर ड्रिल कराई गई है। इस अभ्यास के माध्यम से पुलिसकर्मियों को विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



धर्म गुरुओं व सम्भ्रान्त नागरिकों ने की शान्ति व सद्भाव की अपील -

आगामी 14 मार्च को होली और रमजान महीने का दूसरा जुमा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद महोबा में त्यौहारों के दौरान शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विभिन्न धर्म गुरुओं ने जनपद वासियों से शान्ति और सद्भाव बनाये रखने की अपील की है।

शहरकाजियों/मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गुजारिश की है कि 14 मार्च को जुमें की नमाज के लिए सभी मुस्लिम भाई अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही नमाज अदा कर लें। किसी भी प्रकार की यात्रा से बचें। ताकि, किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो।" इसी दिन होली का पर्व भी है, एहतियात बरतते हुए पवित्र रमजान माह का सम्मान करें।

इसी क्रम में हिन्दु धर्मगुरुओं ने अपील की है कि 14 मार्च के दिन होली का पर्व आपसी भाई चारे के साथ मनायें, सावधानी रखें, किसी भी बुजुर्ग या वह व्यक्ति जो रंग से परहेज करते हों उन पर रंग न डालें, सहयोग करें यदि कोई नमाजी व बुजुर्ग व्यक्ति पर रंग डालने का प्रयास करता है तो उसको समझाएं व ऐसा करने से रोकें। सभी ने आशा व्यक्त की है कि वह इस दौरान शान्ति बनाये रखेंगे व त्यौहार में आपसी भाई चारे कायम रखेंगे।

महोबा पुलिस सभी सम्मानित सम्भ्रान्त नागरिकगण से अपील करती है कि वो भी अपने क्षेत्र में शान्ति सन्देश और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली, रमजान व ईद त्यौहारों को भाई-चारे और हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनायें और अपना यह सन्देश आम जन-मानस तक पहुंचायें।

जनपद महोबा पुलिस प्रशासन जनपद में शान्ति बहाल रखने और शान्ति भंग करने का प्रयास करने वाले वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है।



@MahobaPolice

धर्म गुरुओं व सम्भ्रान्त नागरिकों ने की शान्ति व सद्भाव की अपील -

आगामी 14 मार्च को होली का त्यौहार व रमजान महीने का दूसरा जुमा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद महोबा में सभी त्यौहारों के दौरान शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विभिन्न धर्म गुरुओं ने जनपद वासियों से शान्ति और सद्भाव बनाये रखने की अपील की है।

- शहरकाजियों/मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि 14 मार्च को जुमें की नमाज के लिए सभी मुस्लिम भाई अपनी नजदीकी मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। किसी भी प्रकार की यात्रा से बचें। ताकि, किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो।" इसी दिन होली का पर्व भी है, एहतियात बरतते हुए सभी की भावनाओं का सम्मान करें।
- इसी क्रम में हिन्दु धर्मगुरुओं ने अपील की है कि 14 मार्च के दिन होली का पर्व आपसी भाई चारे के साथ मनायें, सावधानी रखें, किसी भी बुजुर्ग या वह व्यक्ति जो रंग से परहेज करते हों उन पर रंग न डालें, सहयोग करें यदि कोई नमाजी व बुजुर्ग व्यक्ति पर रंग डालने का प्रयास करता है तो उसको समझाएं व ऐसा करने से रोकें। इनके द्वारा अपील की गयी है कि सभी इस दौरान शान्ति बनाये रखें व त्यौहार में आपसी भाई चारे कायम रखें।
- ❖ महोबा पुलिस सभी सम्मानित नागरिकगण से अपील करती है कि वो भी अपने क्षेत्र में शान्ति सन्देश और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली, रमजान व ईद त्यौहारों को भाई-चारे और हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनायें और अपना यह सन्देश आम जन-मानस तक पहुंचायें। जनपद महोबा पुलिस प्रशासन जनपद में शान्ति बहाल रखने के लिए और शान्ति भंग करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करने के लिए कटिबद्ध है।

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 11.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ के नेतृत्व में संयुक्त टीमों का गठन किया गया जिसमें गठित टीम के उ0नि0 दिनेश सिंह द्वारा बाघ विराजन मन्दिर के पास से 01 नफर अभियुक्त अंकित यादव को मय एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम के उ0नि0 विकास तिवारी द्वारा सेल्टर बागौल तिराहा से 01 नफर अभियुक्त मंगल सिंह को मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 77/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश सिंह
2. का0 दिनेश सिंह सेंगर
3. कां मनोज कुमार
1. उ0नि0 विकास तिवारी
2. उ0नि0 योगेश कुमार
3. कां विवेक कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंकित यादव पुत्र भान सिंह यादव उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2. मंगल सिंह पुत्र चन्द्रभान अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी मु0 बड़ापुरा करबा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी विवरण:-

02 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर



जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया

गया सुरक्षा का भरोसा, वाहनों पर यातायात जागरूकता पम्पलेट चस्पा कर यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक..

आज दिनांक **11.03.2025** को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के नेतृत्व में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ढाबा आदि संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने व स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी।

इसी क्रम में आज दिनांक 11.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा क्रमशः जनपद के थाना कुलपहाड़, पनवाड़ी व चरखारी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ प्रमुख कस्बों, बाजार, मिश्रित आबादी वाले स्थानों, होलिका दहन स्थलों का भ्रमण व अन्य संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त करते हुये जनसामान्य से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुये मस्जिदों का भ्रमण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चेक कर सुरक्षा व सतर्कता बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

थाना पनवाड़ी व कुलपहाड़ क्षेत्रान्तर्गत संचालित पीआरवी वाहनों को चेक कर निरन्तर भ्रमणशील रहते हुये शरारती तत्वों पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने व रिस्पांस टाइम को उच्चिकृत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

पैदल गस्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन व चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गयी। इस दौरान यातायात जागरूकता पम्पलेट को वाहनों पर चस्पा कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा यातायात नियमों का पालन किये/कराये जाने हेतु अपील की गयी।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन/अनुज्ञापियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **136 वाहनों के ई-चालान** कर **1,65,500/- रुपये** (एक लाख पच्चीस हजार रुपये) का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

